तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री कर्नल गिरधारी सिंह (रिटायर्ड) निवासी बी–94 कान्ता खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं प्रथम सूचना अपील संख्या 227/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

: निर्णय :

30.10.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 21.07.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.),बीकानेर के प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 1532 दिनांक 14.9.17 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत आज दिनांक तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही डाक प्राप्ति कम्प्यूटर शाखा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र कम्प्यूटर में दर्ज होना पाया जाता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है। अपीलार्थी यदि चाहे तो वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 30.10.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर